

# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।

पत्रांक— 1439/14-1, दिनांक, मेरठ: 28 सितम्बर, 2022.

सेवा में,

रचिन कंसल  
डी0जे0एम0  
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0  
मुजफ्फरनगर।

**विषय:-** जनपद मेरठ में Laying of 12 dia natural gas pipe line at various roads, Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Road, NH-58 km chainage 90.290 to 85.800, total length 0.4490 km total length hectare 0.2245 ha संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य से सम्बन्धित।

**प्रस्ताव संख्या— FP/UP/OTHERS/146071/2021.**

**सन्दर्भ:-** उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या-पी0-309/81-2-2022-800(323)/2022 दिनांक 26.09.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने करें, जिसके मध्यम से उ0प्र0 शासन द्वारा विषयक प्रकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव में सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

अतः उ0प्र0 शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 26.09.2022 में उल्लिखित शर्त सं0 02 एवं 31 के अनुपालन हेतु धनराशि की आंकलन निम्नानुसार है:-

| क्र0 सं0 | शर्त सं0 | मद                                                                                                                                   | धनराशि (रु0 में) | भुगतान किये जाने सम्बन्धित विवरण                            |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3                                                                                                                                    | 4                | 5                                                           |
| 1        | 2 एवं 31 | जनपद मेरठ की 0.2245 हे0 संरक्षित वन भूमि का संशोधित दरों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की धनराशि (रु0 9,57,780.00/- प्रति हे0) | 2,15,022.00/-    | प्रयोक्ता एजेन्सी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से |
| योग      |          |                                                                                                                                      | 2,15,022.00/-    | —                                                           |

अतः उ0प्र0 शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया आप सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त सं0 02 एवं 31 के अनुपालन में 0.2245 हे0 वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रु0 2,15,022.00/- (रु0 दो लाख पन्द्रह हजार बाईस मात्र) प्रयोक्ता एजेन्सी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से कैम्पा फण्ड में जमा करने का कष्ट करें तथा साथ ही Recommendation Certificate (संलग्न) में वन प्रबन्धन एवं वन्य जीव सम्बन्धी विषयों के सफल प्रबन्धन हेतु उपकरण की धनराशि रु0 5,00,000.00/- (रु0 पांच लाख मात्र) का देय ड्राफ्ट प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के नाम इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। एवं उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 26.09.2022 में उल्लिखित समस्त शर्त सं0 1 से 33 तक प्रत्येक शर्तों की पृथक-2 अनुपालन आख्या/प्रमाण पत्र पॉच प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मेरठ

संख्या— 1439 / 14-1 , दिनांकित।

- प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मेरठ।